परिशिष्ट–1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 701 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संबंधित जानकारी

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम/कक्ष क्र.	चोरी का प्रकार/सामग्री	घटना की तिथि	ड्यूटी पर पदस्थ कर्मचारी का नाम	थानों में रिपोर्ट की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मंदसौर	भानपुरा	नावली/आर–57	लोहे की फेंसिंग 45 मीटर	30–31.05.2021	श्री नरेन्द्र सिंह चुण्डावत, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, भानपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 364/31.05.2021 से लेख किया गया।	कार्यवाही प्रचलित।
2			नीमथूर/आर–29	बारबेड़ वायर एवं जाली 108 मीटर	13–14.07.2022	श्रीमति चंद्रकला वर्मा, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, भानपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 719/15.07.2022 से लेख किया गया।	कार्यवाही प्रचलित।
3			प्रेमपुरिया/आर–50	लोहे का गेट	01.09.2022	श्री जयेश पाटीदार, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, भानपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 888/05.09.2022 से लेख किया गया।	कार्यवाही प्रचलित।
4			थगी/आर–65 एवं आर–66	बारबेड वायर 400 मीटर	30.08.2022	श्री नरेन्द्र पाटीदार, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, भानपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 889/05.09.2022 से लेख किया गया।	कार्यवाही प्रचलित।
5		मंदसौर	सुवासरा/आर–14	चैनलिंक फेंसिंग जाली 1.50 मीटर चौड़ाई की 180 र. मी.	28.03.2020	श्री सतीश कुमार वर्मा, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, मन्दसौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 489–490/31.03.2020 से लेख किया गया।	सामग्री प्राप्त।
6			सुवासरा/आर–09	200 फीट जाली एवं कांटेदार तार	12.05.2021	श्री राजेश मेहर, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, मन्दसौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु दिनांक 12.05.2021 से लेख किया गया।	सामग्री प्राप्त।
7			पिपलिया/पी–02	378 र.मी. चैनलिंक फेंसिंग एवं बारबेड वायर	09.05.2022	श्री दीपक पाटीदार, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, मन्दसौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज हेतु पत्र क्रमांक 651–652/13.05.2022 से लेख किया गया।	कार्यवाही प्रचलित।
1			भीमपुरा कक्ष क्रं. 444	30 मीटर जाली	12.10.2019	श्री सतीश राठौर वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी रामपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनांक 13.10.2019 को लेख किया गया।	अप्राप्त

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम / कक्ष क्र.	चोरी का प्रकार / सामग्री	घटना की तिथि	ड्यूटी पर पदस्थ कर्मचारी का नाम	थानों में रिपोर्ट की स्थिति	रिमार्क
	2	3	4	5	6	7	8	9
2	नीमच	रामपुरा	पिलखेडी कक्ष क्र. 417	66 मी. चैनलिंग फेंसिंग एवं 440 मी. बारबेड वायर	10.06.2021	श्री दिलीप धनगर, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, रामपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनांक 11.06.2021 को लेख किया गया	बीट पिलखेडी कक्ष क्र. 417 में 66 मीटर चैनलिंक फेंसिंग एवं 440 मी. बारबेड वायर चोरी हुये थे, जिसमें से 24 मीटर चैनलिंक फेंसिंग प्राप्त।
3			पिलखेडी कक्ष क्र. 425	गेट चोरी (<u>गेट वापस प्राप्त</u>)	07.05.2022	श्री दिलीप धनगर, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, रामपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनांक 09.05.2022 को लेख किया गया।	बीट पिलखेड़ी कक्ष क्र. 425 में गेट चोरी हुआ थो, जो संबंधित बीटगार्ड द्वारा खोजबीन करने पर प्राप्त हो गया है, जिसे वृक्षारोपण पर लगा दिया गया है।
4			चिताखेडा के कक्ष क्रमांक पी–21	चैनलिंक फेंसिंग 75 र.मी.	14.06.2019	श्री ईश्वर सिंह चौहान, वनरक्षक	संबंधित थाना प्रभारी को परिक्षेत्राधिकारी, नीमच द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनांक 15.06.2019 को लेख किया गया है।	बीट चिताखेड़ा कक्ष क्र. पी–21 में लगी चैनलिंक फेंसिंग 75 र.मी. चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2019 को थाना जीरन में कराई गई है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।
5		नीमच	जीरन प्रथम के खरमोर क्षेत्र	गेट एवं काऊ केचर	23, 24/01/2023	श्री नागेश प्रजापति, वनरक्षक	दिनांक 24.01.2023 एवं ऑनलाईन एफ.आई.आर. दिनांक 08.02.2023	दिनांक 23, 24/01/2023 की रात्रि को खरमोर क्षेत्र में लगे गेट एवं काऊ केचर की चोरी हो गई, जिसकी सूचना जीरन थाने में दिनांक 24.01.2023 को कराई गई है एवं ऑनलाईन एफ.आई.आर. दिनांक 08.02.2023 जीरन थाने द्वारा दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। चोरी की गई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।
	रतलाम	निरंक						

16/2/23

(सी.के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र.. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल

(3)

परिशिष्ट - 2

सम्बन्ध में वह समाधानप्रद रूप से लेखा-जोखा नहीं दे सकता है और परिणामस्वरूप जो धारा 9 के अधीन अधिहत किये जाने के दायित्वाधीन है, तो किसी ऐसी अन्य शास्ति के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन उत्तरदायी हो सकता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापन अधिकारी हेतुक दर्शाने का अवसर अनुज्ञप्तिधारी को देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत (Revoke) या निलम्बित (Suspend) कर सकेगा, और वह धनराशि, यदि कोई हो, जो उन शर्तों के जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा की गई है, उसको अथवा उसके किसी भाग को समपहृत (Forfeit) कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी।

धारा 7. प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति- (1) किसी आरा मिल [1](......) की स्थिति का अभिनिश्चयन (Ascertaining) करने या उसके संचालन की परीक्षा कार्य करने के प्रयोजन से, या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अनुज्ञापन अधिकारी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो-

(क) किसी आरा मिल [1](.......) में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

(ख) किन्हीं दस्तावेजों, बहियों, रजिस्टरों या अभिलेखों को, जो किसी आरा मिल [1](.......) पर नियन्त्रण रखने वाले, किसी व्यक्ति के अथवा, उसके सम्बन्ध में नियोजित किसी के कब्जे या अधिकार में है, परीक्षा कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें पेश किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(ग) किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा, या इस अधिनियम के तथा उसके बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के आशयित, किसी परिसर, यान, मशीन, औजारों और उपस्करों की तलाशी ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिये किसी यान या व्यक्ति को रोक सकेगा।

(घ) ऐसे काष्ठ, संयंत्रों और मशीनरी, औजार, यान और किसी अन्य वस्तु को, जिसके कि बारे में उसे सन्देह है कि वह इस अधिनियम के या, उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने में पहले से ही अन्तर्ग्रस्त है, या उपयोग में लाई जाने वाली है, अभिग्रहित (Seize) कर सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध, जो तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित हैं, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन की तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

धारा 8. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना- प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति आरा मिल [2](........) के कामकाज के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्ररूप में, और ऐसे अधिकारी को, तथा ऐसी तारीखों पर प्रस्तुत करेगा, जैसा विहित किया जावे।

---

1. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा विलोपित।
2. म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा लुप्त तथा धारा 9

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल